

थाना उझानी पुलिस द्वारा की गयी सराहनीय कार्यवाही।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर बदायूँ के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी उझानी बदायूँ के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान आज दिनांक 25.09.2021 को उ0नि0 श्री लवगिरि मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा मु.अ.सं. 426/21 धारा 498A/ 304B IPC व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि. में वांछित अभियुक्ता श्रीमती सोमवती पत्नी रायसिंह निवासी ग्राम निजामपुर थाना उझानी जनपद बदायूँ को किया गया ।

दिनांक 23.09.2021 को श्रीमती सरिता पत्नी सतीश नि. ग्राम निजामपुर थाना उझानी, जनपद बदायूँ मृत्यु हो गयी थी। मृतका सरिता के पिता रामलडैते नि. ग्राम सरौरा नगला थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ द्वारा थाना हाजा पर मृतका सरिता को उसके पति सतीश पुत्र राय सिंह, सास श्रीमती सोमवती पत्नी रायसिंह व लालाराम पुत्र रघुवीर द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 426 / 21 धारा 498ए / 304बी भादवि व 3 / 4 दहेज अधि0 बनाम 1. सतीश पुत्र राय सिंह 2. श्रीमती सोमवीत पत्नी राय सिंह 3. लालाराम पुत्र रघुवीर नि0गण निजामपुर थाना उझानी बदायूँ पंजीकृत कराया था। आज श्रीमती सोमवीत पत्नी राय सिंह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेजा जा रहा है।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ।